रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092022-239006
CG-DL-E-22092022-239006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4242] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022/भाद्र 31, 1944
No. 4242] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022/BHADRA 31, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(एसईजेड अनुभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4426(अ).—यतः, मै॰ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स-केरल ने केरल राज्य में जिला तिरुवनंतपुरम के पल्लीपुरम और वल्लूर गाँव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 363(अ) दिनांक 13 फरवरी, 2013 एवं का.आ. 2323(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2020 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 39.3719 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 6.5074 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, शुरूआत में अधिसूचित क्षेत्र 39.3719 हेक्टेयर था, हालांकि, राजस्व प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक क्षेत्र केवल 38.7632 हेक्टेयर है और 6.5074 हेक्टेयर की अनधिसूचना के बाद, एसईजेड का शेष अधिसूचित क्षेत्र 32.2558 हेक्टेयर है;

और यतः, मै॰ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स-केरल ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 32.2558 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केरल सरकार ने उनके पत्र स. आईटी–ए2/50/2021-आईटीडी दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के तहत् प्रस्ताव को अनापत्ती प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत:, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 32.2558 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की हैं। इसके अलावा, डेवलपर के अनुसार, प्रस्तावित अनधिसूचित क्षेत्र का उपयोग संभावित डेवलपर्स या औद्योगिक इकाइयों द्वारा सहायक आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाएगा जो बड़े पैमाने पर घरेलू आईटी व्यवसाय को पूरा करेगा;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक ज़ोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किये गए कार्यों या किये जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद् करती है।

[फा. सं. एफ.1/12/2012-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4426(E).—WHEREAS, M/s. Electronics Technology Parks-Kerala, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Villages Pallippuram & Vailoor, District Thiruvanathapuram in the State of Kerala;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 39.3719 hectares and de-notified an area of 6.5074 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 363(E) dated 13th February, 2013 and S.O. 2323(E) dated 10th July, 2020;

AND, WHEREAS, the area initially notified was 39.3719 hectares, however, the actual area, as per record of Revenue authority is only 38.7632 hectares and after the de-notification of 6.5074 hectares, the remaining notified area of the SEZ is 32.2558 hectares;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Technology Parks-Kerala has now proposed to de-notify the entire area of 32.2558 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Government of Kerala has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. IT-A2/50/2021-ITD dated 21.12.2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 32.2558 hectares of the Special Economic Zone. Further, as per the Developer, the proposed de-notified area will be used by prospective developers or industrial units to create supporting IT Infrastructure which would cater largely Domestic IT Business;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/12/2012-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.22 21:11:31 +05'30'